न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4652/2005/बून्दी

1– सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल जाति नाई निवासी नैनवां तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2– प्रेम पुत्री सोहनलाल जाति नाई निवासी नैनवां हाल निवासी ग्राम खेड़ा तहसील व जिला टोंक।
3– सुशीला पुत्री सोहनलाल जाति नाई निवासी नैनवां तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4– कलावती पुत्री सोहनलाल जाति नाई निवासी ककोड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक।

.....**अपीलांट्स**

बनाम

1– मोती शंकर पुत्र बजरंगलाल जाति नाई निवासी नैनवां जिला बून्दी।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री दिलीपसिंह, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री भीयाराम चौधरी, अधिवक्ता रैस्पोडेंट सं0 1

निर्णय

दिनांक : 26–9–2019

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 21–06–2005 अपील सं0 25/2003 बउनवानी सत्यनारायण बनाम मोतीशंकर के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि ख0 नं0 659 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 660 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 661 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा जो वाके ग्राम बिजलवा तहसील नैनवां में स्थित है। उक्त विवादित भूमि के पूर्व खातेदार वादी/रेस्पो0 के नाना

बलमा पिता कंवरलाल थे जिनके केवल एक पुत्री रामेश्वरी देवी थी जो वादी/रेस्पो0 की मां थी तथा उक्त बलमा व रामेश्वरी का स्वर्गवास हो गया तथा उक्त बलमा ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त रहे। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर दावा व जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 19–2–2003 को दावा वादी डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री की अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2005 से विद्धान अभिभाषकगण को सुनते हुए अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार कर ली जिस निर्णय दिनांक 21–6–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– दोनो पक्षो के विद्धान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि अपीलांअ का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर वर्षो से हैं फिर भी उन्होंने दावा डिक्री किया एवं अपीलांट को 500/– रू0 प्रति बीघा प्रतिवर्ष जमा कराने का आदेश दिया है। रेस्पोडेन्ट द्धारा प्रस्तुत दावा बेदखल का हनीं होने से भी काबिज खारिज योग्य था। अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट थे कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा अपीलांट के कब्जे काश्त को स्वीकार किया गया है। जब दावा दायरी के रोज अपीलांट कब्जे काश्त में थे तो उनके विरूद्ध दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का संधारण योग्य नहीं था। इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से काबिज निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– इसके विपरीत विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है और ना ही था। बलमा के पिता कंवरलाल व प्रतिवादी के पिता सोहनलाल के पिता बजरंगलाल के काका थे। वादग्रस्त भूमि बजरंगलाल व बलमा की खातेदारी की थी। बलमा लगभग 70 वर्ष पूर्व अपने नाना के गोद चला गया और वादग्रस्त आराजी बजरंगलाल को सम्भला दी गई। इसके उपरान्त से ही वादग्रस्त आराजी पर बजरंगलाल व सोहनलाल काबिज काश्त रहे हैं तथा अब प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं। दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कानूनी एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय नैनवां ने अपने निर्णय दिनांक 19–02–2003 में चार तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है। परीक्षण/अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2005 में अंकित किया है कि अपीलांट की अपील सं0 25/2003 आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाती है व परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19–2–2003 इस शर्त पर अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलांट पॉच सौ रू0 प्रति बीघा प्रतिवर्ष की दर से नगद प्रतिभूति तहसीलदार नैनवा के कार्यालय में जमा करवा दे तो दौराने दावा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त बनाये रखेगा और परीक्षण न्यायालय इस निर्णय में विवेचना में अंकित निर्देशों को ध्यान में रखकर प्रकरण में सुनवाई उपरान्त पुनः निर्णय पारित करें।

7– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त आराजी बलमा के खातेदारी की थी जो दिनांक 14–4–1961 को इन्तकाल सं0 107 से अपीलांट के पिता मोहनलाल के खाते में दर्ज की गई। प्रदर्श–5 से बलमा की मृत्यु दिनांक 11–12–1972 को होना जाहिर होता है तथा इस कारण यह माना जा सकता है कि इन्तकाल सं0 107 बलमा की मृत्यु के कारण नही खोला गया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा भी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 का कब्जा नहीं होने के कारण खारिज किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में रेस्पो0 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मानकर त्रुटि की है क्योंकि इस प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना विदित नहीं होता है। इसके साथ ही बलमा को गोद जाना भी सिद्व नहीं होना अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है। साथ ही यह भी अंकित किया है कि निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में अपीलांट का नाम गलत रूप से दर्ज है किन्तु वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा प्रथम दृष्ट्या विदित नहीं होता है। बजरंलाल व कंवरलाल के खाते भी अलग–अलग हैं जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्षतः अपने निर्णय में प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर परीक्षण हेतु

प्रतिप्रेषित किया जाना मानने में कोई कानूनी या विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिए अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य